



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

"प्रभावी पैरवी कर अवैध गांजा की तस्करी करने वाले अभियुक्त को **09 माह के कारावास व ₹5000 अर्थदंड** की सजा दिलाई गई।



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे **ऑपरेशन कन्विकशन अभियान** के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कुरारा में पंजीकृत मु0अ0सं0 156/2022, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय एफ.टी.सी.द्वितीय/गैंगस्टर एक्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त **रिंकू सैनी पुत्र संतराम सैनी** निवासी ग्राम झलोखर थाना कुरारा जनपद हमीरपुर को **09 माह के कारावास व ₹5000 अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।



ADGC श्री प्रवीण
कुमार भदौरिया



विवेचक
उ0नि0 श्री राजेन्द्र
सिंह



पैरोकार कुरारा
का0 रजनीश कुमार